

दिल्ली राजपत्र  
सत्यमेव जयते  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221223  
SG-DL-E-19082020-221223

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकारसे प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                   |                        |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|
| सं. 159] | दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/श्रावण 27, 1942   | [रा.रा.क्षे.दि.सं. 101 |
| No. 159] | DELHI, TUESDAY, AUGUST, 18, 2020/SRAVANA 27, 1941 | [N.C.T.D. No. 101      |

भाग IV  
Part IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÜk ¼jk t Lo&I½ foHkkx

vf/k l puk

दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

सं.फा. 03(23)/वित्त(राज.- I)/2020-21/डी.एस.-IV/48.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में 'इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं | प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                                | (3)                                                        |
| 1        | अप्रैल, 2020 से जून, 2020                                          | 31 जुलाई, 2020                                             |
| 2        | जुलाई, 2020 से सितंबर 2020                                         | 31 अक्टूबर, 2020                                           |

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथा स्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th August, 2020

**No.F3(23)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/48.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished | Time period for furnishing details in FORM GSTR-1 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                    | (3)                                               |
| 1       | April, 2020 to June, 2020                              | 31 <sup>st</sup> July, 2020                       |
| 2       | July, 2020 to September, 2020                          | 31 <sup>st</sup> October, 2020                    |

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from the 23<sup>rd</sup> March, 2020.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secy. IV (Finance)